न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 100/2014 दायर दिनांक: 15.07.2014

उनवान

1– मृतक– दलशेर खां पि. छोटे खां जाति मुसलमान नि. दिलावरा तह. पिड़ावा

1/1 कल्लूखां पि. दलशेर खां जाति मुसलमान नि. दिलावरा तहसील पिड़ावा

1/2 नजर मौहम्मद पि. दलशेर खां जाति मुसलमान नि. दिलावरा तह. पिड़ावा

1/3 सुबराती पि. दलशेर खां जाति मुसलमान नि. दिलावरा तहसील पिड़ावा

–वादीगण

बनाम

1– मुश्ताक खां पि. कम्मुखां जाति मुसलमान (मेवाती) नि. दिलावरा तह. पिड़ावा

2– युसूफ खां पि. कम्मु खां जाति मुसलमान (मेवाती) नि. दिलावरा तह. पिड़ावा

3– युनूस खां पि. कम्मु खां जाति मुसलमान (मेवाती) नि. दिलावरा तह. पिड़ावा

4– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पिड़ावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 183, 209, रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण–

अभिभाषक वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी
अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 से 3– श्रीमति फरजाना मिर्जा
प्रतिवादी सं. 4 – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 22.05.2026

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दिलावरा पटवार हल्का औडियाखेड़ी तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ में खाता संख्या 47 की कुल किता 12 कुल रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा आराजी स्थित है। इस आराजी में खसरा नम्बर 123/402 शामिल नम्बर 133/443 रकबा 09 बिस्वा आराजी स्थित है। जो वाद में विवादग्रस्त है। यह कि वादी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 123/402 शामिल नम्बर 133/443 रकबा 09 बिस्वा पर प्रतिवादीगण ने जबरन

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अवैधानिक रूप से कब्जा कर मकान निर्माण का कार्य चालु कर दिया है। वादी के द्वारा रोकने पर नहीं मान रहे है। वादी ने पेमाईश करवाने के लिए भी तहसीलदार महोदय, पिड़ावा प्रतिवादी संख्या 4 को प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर कार्यवाही करते हुए हल्का पटवारी औडियाखेडी को पेमाईश हेतु नियुक्त कर दिया लेकिन प्रतिवादीगण के द्वारा मौके पर पैमाईश नहीं करने दी जा रही है। और लडाई झगडा करने पर आमादा हो रहे है। जिसकी रिपोर्ट भी थाना पिड़ावा में वादी के द्वारा दर्ज करवाई गई थी। फिर भी प्रतिवादीगण निर्माण करने से नहीं रूक रहे है। इसलिए उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक है। तथा प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के खाते की आराजी पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर निर्माण किया गया है जिसे भी हटाये जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। यह कि प्रतिवादीगण के द्वारा निरन्तर अवैधानिक रूप से बिना किसी अनुमति के वादी के खाते की राजस्व भूमि पर निर्माण कार्य कर मकान बनाया जा रहा है। जिसका उन्हें कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि वाद कारण दिनांक 10.07.2014 को उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण अवैध रूप से वादी के खाते की आराजी पर निर्माण कार्य करने लगे और वादी ने मना किया तो लडाई झगडा करने पर आमादा हुए तो वाद कारण उत्पन्न हुआ। यह कि वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से माननीय न्यायालय में अवधि मध्य, उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जा कर बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित कि जावें।

(अ) प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावें कि ग्राम दिलावरा के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 123/402 शामिल नम्बर 133/443 रकबा 09 बिस्वा पर जो कि वादी के खाते की है। अवैध रूप से निर्माण कार्य नहीं करें। और ना ही किसी अन्य से ऐसा करावें।

(ब) प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के खाते के खसरा नम्बर 123/402 शामिल नम्बर 133/443 रकबा 09 बिस्वा पर किये गये अवैध निर्माण को हटाया जा कर प्रतिवादी संख्या 4 के माध्यम से मोके पर कब्जा दिलाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी के पक्ष में ही दिलाई जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र के चरण क्रमांक 1 में वर्णित विवरण राजस्व रेकार्ड से सम्बन्धित है। वादी सिद्ध करे व जो वाद में विवादग्रस्त है। अस्वीकार है। यह कि वाद पत्र का चरण क्रमांक 2 में वर्णित विवरण पूर्णतः गलत मलघडत होने से अस्वीकार है। इस चरण में दर्ज विवरण वादी ने दावे की विषय वस्तु गठीत करने के लिए अंकित किये है, बल्कि प्रतिवादीगण के पिता कम्मु खां के नाम 05 बिस्वा भूमि सरकार द्वारा एलाट हुई है। जिसका खसरा नम्बर 474/123 व उस पर प्रतिवादीगण के पिता कम्मु खां बाडे निर्माण अपने मवेशियो को बैठाने सुलाने के लिए कर रहे थे उस बाडे के निर्माण को रोकने के लिए वादी ने यह दावा लगाया है। जो सरासर गलत है। व अवैधानिक है। इस कारण प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से इस आराजी से स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अवैधानिक होगा। और ना ही प्रतिवादीगण ने वादी के खाते की भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर निर्माण किया है बल्कि प्रतिवादीगण 1, 2 व 3 के पिता कम्मु खां के खाते की बंजर भूमि पर बाडे के निर्माण को वादी हटवाना चाहता है। जो अवैधानिक है जो न्यायहित में नहीं है। बल्कि वादी बिना कारण प्रतिवादीगण को परेशान करता आ रहा है। जिससे प्रतिवादीगण का काम रुकने से प्रतिवादी 1, 2 व 3 को व उनके पिता को भारी आर्थिक व मानसिक नुकसान हो रहा है। यह कि वाद पत्र के चरण क्रमांक 3 में वर्णित विवरण गलत व अस्वीकार है। प्रतिवादीगण के पिता कम्मु खां अपने खाते की भूमि पर मकान नही बल्कि मवेशियो के लिए बाडे का निमर्ण कार्य कर रहा था। क्योकि मवेशियो को बारीश, धुप, सर्दी में भारी परेशानी का सामना कनना पडता है जिससे वह बीमार पड़ जाते है। यह कि वाद पत्र के चरण क्रमांक 4 में वर्णित विवरण गलत व अस्वीकार है। वाद कारण दिनांक 10.07.2014 को उत्पन्न होना अस्वीकार है। क्योकि जब प्रतिवादीगण ने वादी के खाते की आराजी को देखा ही नही है। कभी उस पर गये ही नही है। तो निर्माण का सवाल ही नही उठता

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला [illegible] (राज.)

है। तो वाद कारण उत्पन्न हुआ ही नही है। यह कि चरण क्रमांक 05 में वर्णित विवरण क्षेत्राधिकार व उचित कोर्ट फीस में पेश होना कानूनी प्रश्न है। व प्रार्थना अ, ब, स अस्वीकार है। **विशेष कथन** – यह कि वादी ने जिन प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 व 3 के विरूद्ध माननीय न्यायालय मे दावा लगाया है इनके नाम कोई भूमि ही नही है। जिस भूमि में प्रतिवादीगण के पिता कम्मु खां आत्मज समी खां मवेशियो के लिए बाड़े का निर्माण कार्य कर रहे थे उसको वादी रोकना चाहता है। जिस भूमि पर कम्मु खां बाडे का निर्माण कर रहे थे वह कम्मु खां को सरकार द्वारा दिनांक 26.12.1970 द्वारा एलाट की गई है। जिस पर कम्मु खां का कब्जा बहेयित मालिक चला आ रहा है। जिसका खसरा नम्बर 474/123 रकबा 05 बिस्वा भूमि है। इस दावे में कम्मु खां पिता समी खां को पक्षकार नहीं बनाया गया है। 475/123 खसरा नं. रकबा 0–05 बीघा भूमि प्राथमिक स्कूल दिलावरा तहसील पिडावा की है को भी पक्षकार नहीं बनाया है। यह कि वादी जिस खसरा नम्बर 123/402 व 133/443 रकबा 09 बिस्वा की भूमि शामलाती नम्बर है। व यह 09 बिस्वा भूमि नदी वाला शामलाती 02 चाही दौयम भूमि खेती की है। यह भूमि कहां है। यह वादी साबित करे व बतावें। यह कि खसरा नम्बर 123 की भूमि सरकारी सिवायी चक्र लगानी भूमि है। जिसका रकबा कुल 10 बिस्वा है। जो बंजड अव्वल है। जिसकी नकल बन्दोबस्त संलग्न है। यह कि इस खसरा नम्बर 123 रकचा 10 बिस्वा बजंड भूमि में से सरकार ने कम्मु खां को खसरा नम्बर 474/123 रकबा 05 बिस्वा भूमि दिनांक 26.12.1970 को एलाट की थी व इसी 10 बिस्वा भूमि में से 05 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 475/123 की भूमि प्राथमिक विद्यालय दिलावरा के नाम 05.09.1984 को सरकार द्वारा एलाट की गई है। वह विद्यालय व क्रिडा स्थल मौजुद है, की नकल संलग्न है। जो भूमि खसरा नम्बर 474/123 की 05 बिस्वा भूमि बंजड है। व प्रतिवादीगण के पिता कम्मु खां के खाते व कब्जे कारत की भूमि है। उस पर प्रतिवादीगण व उनके पिता कम्मु खां का बाप दादाओ के जाने से कब्जा चला आ रहा है जो आज तक है। खसरा नम्बर 474/123 रकबा 05 बिस्वा पर प्रतिवादीगण के पिता कम्मु खां मवेशियो के लिए सुलाने बिठाने व बाधने के लिए बाडे का निर्माण का रहे थे वह भूमि बंजड भूमि है। जो प्रथमिक स्कूल

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

दिलावरा खसरा नम्बर 475/123 रकबा 05 बिस्वा के पास स्थित है। जिस पर मवेशियो के लिए बाडे का निर्माण हो रहा था। यह भूमि प्रतिवादीगण के पिता की भूमि है जो राज्य सरकार द्वारा उन्हे एलाट हुई है उस पर वादी जबरन कब्जा करना चाहता है। यह कि पटवारी की मोका रिपोर्ट दिनांक 08.08.2014 मे भी जहा प्राथमिक स्कूल दिलावरा बना है वही पर प्रतिवादीगण के पिता कम्मु खां बाडे के निर्माण का कार्य चला रहे थे। यह मौका रिपोर्ट पटवारी ने माननीय न्यायालय में पेश की है। जिसकी नकल सलग्न है। यह कि प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 व 3 के पिता की भूमि की बढ़ती किमत को देख वादी के मन में बद नियति आ गई है। इसलिए वह यह दावा माननीय न्यायालय में पेश कर प्रतिवादीगण के पिता से उनकी आराजी हड़पना चाहता है। यह कि वादी ने वाद पत्र के साथ ट्रेस नक्शा पेश नहीं किया है। जिससे की यह पता चल सके कि खसरा नम्बर 123/402 व 133/443 शामलाती नम्बर रकबा 09 बिस्वा भूमि कहां पर स्थित है। यह कि प्रतिवादी द्वारा पेश सेटलमेन्ट के समय का नक्शा, नक्शा किश्तवार ग्राम दिलावरा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राजस्थान संलग्न है जिसमें खसरा नम्बर 133/443 के साथ लगी भूमि खसरा नम्बर 132/402 है, जो खसरा नम्बर 132/402 का जमाबन्दी बन्दोबस्त में कोई रेकार्ड नही है। 133/443 व 132/402 खसरा नम्बर नक्शे में तरमीम है जो पास पास है। जमाबन्दी में 133/443 व 123/402 लिखा है। एक नम्बर 133/443 नक्शे व जमाबन्दी दोनो में है। व 132/402 का जमाबन्दी में इन्द्राज नहीं आ रहा है। व 123/402 जमाबन्दी में इन्द्राज है। लेकिन नक्शे में नहीं है। कही यह लेखानु भुल तो नही। जो बन्दोबस्त के समय 133/443 व 132/402 शामलाती नम्बर के स्थान पर 133/443 व 123/402 शामलाती नम्बर भूल से लिखा गया हो यानि की 132/402 की जगह गलती से 123/402 इन्द्राज हो गया हो यह नक्शे से पता चलता है। यह कि प्रतिवादीगण को वादी की भूमि दोनो खसरा नम्बर 123/402 व 133/443 शामलाती नम्बर रकबा 09 बिस्वा भूमि कहां है यह भी पता नही है इस पर जबरन कब्जा करना व निर्माण करने का तो सवाल ही नही उठता है। बल्कि प्रतिवादी क्रमांक 1,2 व 3 व उनके पिता कम्मु खां मवेशियो के लिए बाडे का निर्माण सरकार द्वारा एलाट की गई अपनी खाते की

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

भूमि पर कर रहे थे। जिसके काम को रोकने से प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 व 3 व उनके पिता को भारी नुकसान हो रहा है। वादी की और से पेश किया गया यह वाद चलने योग्य नहीं है। वादी ने झूठा वाद माननीय न्यायालय में पेश किया है। जो मनगडत असत्य असंगत व गलत तथ्यो पर आधारित है। जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि जिस भूमि पर वाडे का निर्माण रोकना चाहता है वह प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 व 3 के पिता कम्मु खां के खाते की भूमि है। जिसका रोकने का वादी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर श्रीमान् से प्रार्थना है कि वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज किये जाने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय प्रतिवादीगण के पक्ष में उचित समझे वह प्रदान किये जाने की कृपा करें।

3. प्रकरण में वादपत्र एवं जवाब दावा के आधार पर उभयपक्ष की सहमति से निम्न तनकियात कायम की गई –

तनकी नं. 1– आया कि वादीगण ग्राम दिलावरा हल्का ओडियाखेडी की वादग्रस्त आराजी ख.न. 123/402 शामिल ख.न. 133/443 रकबा 0–09 बीघा के रिकार्डेड खातेदार कृषक है जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा बलपूर्वक कब्जा कर मकान निर्माण किया जा रहा है। अतः अतिक्रमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है।

जिम्मे वादीगण

तनकी नं. 2– आया कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने पिता कम्मू खां पुत्र समी खां को आंवटित व कब्जे की आराजी ख.न. 474/123 रकबा 0–05 बीघा पर ही निर्माण कर रहे है। अतः प्रतिवादीगण अतिक्रमी नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं. 3– आया कि ग्राम दिलावरा में ख०न० 123/402 शा० 133/443 रकबा 09 बिस्वा नाम से कोई भी खसरा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, केवल ख०न० 133/402 रकबा 09 बिस्वा दर्ज है जो वादीगण के खाते दर्ज है, जिस पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं होने से वाद खारिज योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी

4. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम दिलावरा तहसील पिडावा के खाता सं. 47 की जमाबंदी सं. 2067–70 प्रदर्श 1, खाता सं. 58 की जमाबंदी सं. 2022–41 प्रदर्श 2, खाता सं. 17 की जमाबंदी सं. 2075–78 प्रदर्श 3, प्रस्तुत की एवं मौखिक साक्ष्य में कल्लूखां पि. दलशेरखां, शफी मोहम्मद पि. शमशेरखां, इदरीस पि. कल्लूखां PW 1 To PW 3 के शपथ पत्र/बयान कराये।

5. प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा अपने जवाब के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम दिलावरा तहसील पिडावा के खाता सं. 84 की जमाबंदी सं. 2022–41 प्रदर्श डी 1, खाता सं. 84 की जमाबंदी सं. 2030–33 प्रदर्श डी 2, खाता सं. 15 की जमाबंदी सं. 2034–37 प्रदर्श डी 3, खाता सं. 114 की जमाबंदी सं. 2043–46 प्रदर्श डी 4, खसरा गिरदावरी सं. 2070 प्रदर्श डी 5, 6, 7 व खाता सं. 22 की जमाबंदी सं. 2067–70 प्रदर्श डी 8, 9, नक्शा किश्तवार प्रदर्श डी 10, तहसीलदार पिडावा का पत्र दिनांक 11.08.2014 व मौका रिपोर्ट प्रदर्श डी 11, खाता सं. 109 की जमाबंदी सं. 2075–78 प्रदर्श डी 12, खसरा नक्शा दिनांक 11.08.2025, खाता सं. 169 की जमाबंदी सं. 2075–78 प्रदर्श डी 13 प्रस्तुत की एवं मौखिक साक्ष्य में मुश्ताकखां पि. कम्मूखां, युसुफखां पि. कम्मूखां, युनुसखां पि. कम्मूखां, ताहीरखां पि. शफीखां, रईसखां पि. बब्बूखां DW 1 To DW 5 के शपथ पत्र/बयान कराये।

6. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है–

तनकी नं. 1– आया कि वादीगण ग्राम दिलावरा हल्का ओडियाखेडी की वादग्रस्त आराजी ख.न. 123/402 शामिल ख.न. 133/443 रकबा 0–09 बीघा के रिकार्डेड खातेदार कृषक है जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा बलपूर्वक कब्जा कर मकान निर्माण किया जा रहा है। अतः अतिक्रमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण एवं प्रतिवादीगा के मध्य मौके पर विवाद का मुख्य बिन्दू राजकीय प्राथमिक विद्यालय दिलावरा के खेल मैदान के ख.नं. 475/123 रकबा 0–05 बीघा के लगवा

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

पश्चिम की ओर एवं ख.नं. 149 रास्ता के लगवा पूर्व की ओर वाली भूमि पर नींव खोदकर पक्का निर्माण करने को लेकर है जिसका वर्तमान नक्शे में ख.नं. 474/123 है। सेटलमेंट विभाग के लटठा नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल ख.नं. 123 रकबा 0–10 बीघा का नक्शे में एक ही खेत/डिब्बा/चतुर्भुज आकार बना हुआ है। सेंटलमेंट जमाबंदी के अनुसार मूल ख.नं. 123 रकबा 0–10 बीघा सिवाचयक भूमि थी जिसमें से जरिये नामा.सं. 8 दिनांक 26.12.1969 से 0–05 बीघा भूमि, जिसका नं. 474/123 है, प्रतिवादीगण के पिता कम्मूखां वल्द समीखां मेवाती के खाते दर्ज हुई थी जबकि शेष 0–05 बीघा भूमि ख.नं. 475/123 प्राथमिक विद्यालय दिलावरा के खेल मैदान के खाते दर्ज हुई। आवंटन के बाद मूल ख.नं. 123 के नक्शे के दो टुकडे हो चुके है। एक डिब्बे का ख.नं. 474/123 पश्चिम की ओर जो प्रतिवादीगण के खाते है जबकि दूसरे का 475/123 पूर्व की ओर स्कूल के खेल मैदान के नाम दर्ज है। मूल ख.नं. 123 के उत्तर में ख.नं. 122 रास्ता, पश्चिम में ख.नं. 149 रास्ता, पूर्व में ख.नं. 125 व दक्षिण में व ख.नं. 130 किसी अन्य की निजी खातेदारी दर्ज है। *अतः लटठा नक्शा, वर्तमान आनलाईन नक्शा व जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के लगवा चारो दिशाओ में वादीगण या वादीगण के पिता दलशेरखां की कोई भी भूमि स्थित नहीं है। वादीगण का यह कथन गलत है कि उनकी भूमि हाल ख.नं. 133/402 गत ख.नं. 123/402 शा.न. 133/443 मूल ख.नं. 123 से बनाया गया है। लटठा नक्शा, आनलाईन नक्शा एवं जमाबंदी के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि वादीगण का उक्त ख.नं. ख.नं. 123/402 शा.न. 133/443 मूल ख.नं. 133 से बनाया गया है।*

वादीगण द्वारा जमाबंदी सं. 2067–70 के आधार पर पेश वादपत्र के अवलोकन से जाहिर है कि वादीगण द्वारा ग्राम दिलावरा के तत्कालीन ख.नं. 123/402 शा.नं. 133/443 रकबा 0–09 बीघा के संबंध में यह वाद पेश किया गया है। सेंटलमेंट विभाग की की जमाबंदी सं. 2022–41 के अनुसार ख.नं. 123/402 शा.नं. 133/443 रकबा 0–09 बीघा किस्म चाही दोयम वादीगण के पिता दलशेरखां वल्द छोटेखां के खाते दर्ज रिकार्ड है। सेग्रीगेशन के बाद की जमाबंदी सं. 2075–78 के अवलोकन से जाहिर है कि सेग्रीगेशन के दौरान

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त ख.नं. 123/402 शा.नं. 133/443 रकबा 0–09 बीघा का गया नं. 133/402 रकबा 0–09 बीघा यानि 0.1133 है. बनाया गया है जिसके पश्चिम में ख.नं. 142 सरकारी रास्ता, दक्षिण में ख.नं. 139 अब्दुल अजीज खां वगै., उत्तर पूर्व में ख.नं. 133 अब्दुल अजीज खां वगै. की भूमि स्थित है। अतः स्पष्ट है कि वादीगण की वादग्रस्त भूमि हाल ख.नं. 133/402 गत ख.नं. 123/402 शा.नं. 133/443 रकबा 0–09 बीघा किस्म खाही दोयम प्रतिवादीगण की भूमि ख.नं. 474/123 रकबा 0–05 बीघा से काफी दूर स्थित है। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.06.2014 प्रदर्श डी 11 के अनुसार मूल ख.नं. 123 में ही नींव खोदकर निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसे लेकर दोनो पक्षो के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। हाल ख.नं. 133/402 पर मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं है और ना ही कोई लडाई है। इसी प्रकार वादी के साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 1 से 3 एवं प्रतिवादी के साक्ष्य गवाह डीडब्ल्यू 1 से 5 के बयानो एवं प्रतिपरीक्षण/ जिरह के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य लडाई ग्राम दिलावरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के दक्षिण में व दिलावरा ओडियाखेडी रोड के लगवा पूर्व में स्थित भूमि जो पशुओ को बांधने व बिठाने के लिए बाडे के रूप में है– को लेकर है। अतः वादीगण के ख.नं. 133/402 गत ख.नं. 123/402 शा.नं. 133/443 पर प्रतिवादीगण का ना तो कोई कब्जा है और ना ही कोई कब्जे का प्रयास किया जा रहा है और इसिलिए प्रतिवादीगण अतिक्रमी साबित नहीं है। अतः तनकी नं. 1 वादीगण के पक्ष में साबित नहीं होती है।

तनकी नं. 2– आया कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने पिता कम्मू खां पुत्र सभी खां को आंवटित व कब्जे की आराजी ख.न. 474/123 रकबा 0–05 बीघा पर ही निर्माण कर रहे है। अतः प्रतिवादीगण अतिक्रमी नहीं है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के उपर है। ग्राम दिलावरा की जमाबंदी सं. 2075–78 के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख.नं. 474/123 रकबा 0–05 बीघा प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश जमाबंदी सं. 2022–41 प्रदर्श डी 1 एवं डी 2 के अनुसार मूल ख.नं. 123 रकबा 0–10 बीघा सिवाचयक

उपखण्ड अधिकारी
पिलाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

होकर खाता सरकार दर्ज थी, जिसमें से जरिये नामा.सं. 8 दिनांक 26.12.1969 से 0–05 बीघा भूमि, जिसका नं. 474/123 है, प्रतिवादीगण के पिता कम्मूखां वल्द समीखां मेवाती के खाते दर्ज हुई थी। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.08.2014 प्रदर्श डी 11 के अनुसार मूल ख.नं. 123 के रोड के लगवा हिस्सें में नींव खातेदकर निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसे लेकर दोनो पक्षो के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। हाल ख.नं. 133/402 पर मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं है और ना ही कोई लडाई है। इसी प्रकार वादी के साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 1 से 3 एवं प्रतिवादी के साक्ष्य गवाह डीडब्ल्यू 1 से 5 के बयानो एवं प्रतिपरीक्षण/ जिरह के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य लडाई ग्राम दिलावरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के दक्षिण में व दिलावरा ओडियाखेडी रोड के लगवा पूर्व में स्थित भूमि जो पशुओ को बांधने व बिठाने के लिए बाडे के रूप में है– को लेकर है। अतः वादीगण के ख.नं. 133/402 गत ख.नं. 123/402 शा.नं. 133/443 पर प्रतिवादीगण का ना तो कोई कब्जा है और ना ही कोई कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा ना तो वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन किया जाना साबित है और ना ही वादीगण को अपूरनीय क्षति कारित किया जाना साबित है बल्कि वादीगण द्वारा विवाद उत्पन्न कर प्रतिवादीगण के बाडे के निर्माण कार्य को रोक दिया गया। अतः प्रतिवादीगण अतिकमी साबित नहीं है और इसलिए तनकी नं. 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित होती है।

<u>तनकी नं. 3</u>– आया कि ग्राम दिलावरा में ख०न० 123/402 शा० 133/443 रकबा 09 बिस्वा नाम से कोई भी खसरा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, केवल ख०न० 133/402 रकबा 09 बिस्वा दर्ज है जो वादीगण के खाते दर्ज है, जिस पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं होने से वाद खारिज योग्य है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के उपर है। ग्राम दिलावरा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड/जमाबंदियो में ख.नं. 123/402 शा.नं. 133/443 नाम से कोई ख.नं. नहीं है और ना ही ऐसा कोई खसरा नं. वादीगण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। ग्राम दिलावरा की वादीगण के खाता सं. 17 किता 10 रकबा 4.

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

3129 है, एवं जमाबंदी सं. 2067–70 के खाता सं. 47 किता 12 कुल रकबा 21–02 बीघा के अवलोकन से जाहिर है कि गत ख.नं. 123/402 शा.नं. 133/443 के रीसिमेशन के दौरान नया ख.नं. 133/402 रकबा 0–09 बीघा यानि 0.1138 है, बनाया गया है। तनकी नं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादीगण के खाते दर्ज उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा काश्त या अतिक्रमण साबित नहीं है। अतः तनकी नं. 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित होती है।

7. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खाते की वादग्रस्त आराजी गत ख.नं. 123/402 शा.नं. 133/443 नया ख.नं. 133/402 रकबा 0–09 बीघा यानि 0.1138 है, भूमि पर ना तो कोई जबरन कब्जा या निर्माण किया है और ना ही निर्माण करने का प्रयास किया है। प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी विधिक प्राधिकार के वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा कर खातेदारी अधिकारो का उल्लघंन कर अपूरनीय क्षति कारित करना भी साबित नहीं है। अतः धार 183 एवं 188 आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है। सुविधा के लिए धारा 183 व 188 के प्रावधान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार है–

183. Ejectment of certain trespasser— (1) Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

188. Injunction against wrongful ejectment— (1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion; (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief; (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion, (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम दिलावरा तहसील पिडावा की आराजी गत ख.नं. 123/402 शामिल .नं. 133/443 रकबा 0–09 बीघा हाल ख.नं. 133/402 की भूमि के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

11. परिणामस्वरूप ग्राम दिलावरा तहसील पिडावा की आराजी गत ख.नं. 123/402 शामिल .नं. 133/443 रकबा 0–09 बीघा हाल ख.नं. 133/402 की भूमि के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/5/2026

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 100/2014 दायर दिनांक: 15.07.2014

उनवान

1– मृतक– दलशेर खां पि. छोटे खां जाति मुसलमान नि. दिलावरा तह. पिड़ावा
1/1 कल्लूखां पि. दलशेर खां जाति मुसलमान नि. दिलावरा तहसील पिड़ावा
1/2 नजर मोहम्मद पि. दलशेर खां जाति मुसलमान नि. दिलावरा तह. पिड़ावा
1/3 सुबराबी पि. दलशेर खां जाति मुसलमान नि. दिलावरा तहसील पिड़ावा
–वादीगण

बनाम

1– मुश्ताक खां पि. कम्मुखां जाति मुसलमान (मेवाती) नि. दिलावरा तह. पिड़ावा
2– युसूफ खां पि. कम्मु खां जाति मुसलमान (मेवाती) नि. दिलावरा तह. पिड़ावा
3– युनूस खां पि. कम्मु खां जाति मुसलमान (मेवाती) नि. दिलावरा तह. पिड़ावा
4– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पिड़ावा
–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 183, 209, रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण–
अभिभाषक वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी
अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 से 3– श्रीमति फरजाना मिर्जा
प्रतिवादी सं. 4 – पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....
मिनजानित मुदई रूबरू.....X.....

ग्राम दिलावरा तहसील पिड़ावा की आराजी गत ख.नं. 123/402 शामिल .नं. 133/443 रकबा 0–09 बीघा हाल ख.नं. 133/402 की भूमि के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

मिज .....X..... मुबालिक.....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....X..... अदा करूंगा।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 22.05.2026 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

मुद्दई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

Scanned with OKEN Scanner